


11/04/23

पञ्जाबी काठ राष्ट्रिक लोक नगलत केम
 न्यायालय अतिरिक्त दुरत न्यायिक मजिस्ट्रेट
 गुडामालानी केस डुटे पकामात क जपकिण्ड
 के नडिबलनो को डुका रमाा कडेर।
 नलक के लिवाप जकर खुले न्यायालय
 डुका रमाा कडेर न पालनार्थ लंघी।
 जमी हो पालन जाल होके पर शक्ति
 पञ्जाबी न केव सजावनी बिरीड डुका।
 होकर शक्तिव वस्तर हो।


 अध्यक्ष
 लोक अदालत
 अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 गुडामालानी (बाइमेर)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी (बाड़मेर)
राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प- न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुड़ामालानी

प्रकरण संख्या: 211/2022

प्रार्थीगण :-

1. घमण्डा पुत्र रूपाराम वगैरा (5)
जाति जाट निवासी भालीखाल तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. जसाराम पुत्र सताराम वगैरा (5)
जाति जाट निवासी मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर


राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

-:: आदेश ::-

दिनांक :- 11/2/23


प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प-गुड़ामालानी पेश हुई हमने प्रार्थी के अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्‍नोई की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2075-2078 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा मौखावा के खेत खसरा नम्बर 363 रकबा 27.0977 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम का अवलोकन किया, जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ोसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।


उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि सरहद मौजा मौखावा के खेत खसरा नम्बर 363 रकबा 27. 0977 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1000/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11/02/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।


उपाखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी